अध्याय 5

उपयोगकर्ता प्रभार और राजस्व हिस्सेदारी

अध्याय 5

उपयोगकर्ता प्रभार और राजस्व हिस्सेदारी

पत्तनों के मुख्य राजस्व स्रोतों को इनमें विभाजित किया जा सकता है (क) जहाज संबंधी प्रभार जैसे- पत्तन बकाया, मार्गदर्शन प्रभार, बर्थ किराए पर लेने हेतु प्रभार, लंगर, पोत-भाड़ा, किनारे पर लाना इत्यादि। (ख) कार्गो संबंधी प्रभार जैसे- घाट शुल्क, विलम्ब-शुल्क, ठहराव समय, भण्डारण इत्यादि और; (ग) विविध प्रभार जैसे- स्वच्छ जल आपूर्ति प्रभार, प्रवेश अनुमति जारी करना, चलगामी क्रेन्स कार्गो हैंडलिंग के लिए फोकलिफ्ट आदि।

5.1 सकल राजस्व और राजस्व हिस्सेदारी

पीपीपी संचालक को पत्तन की बोली के आधार पर निर्धारित तत्संबंधी एलए/सीए में निर्धारित सहमत दर पर लाइसेंस शुल्क और राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करना होता है।

(i) लाइसेंस शुल्क: यदि परियोजना स्थल और उपकरण का उपयोग किया जाए तो उसका अग्रिम में वार्षिक भुगतान किया जाए। इसमें बंदरगाह और जमीन के पट्टे का किराया भी शामिल है। बंदरगाह के लिए पट्टे का किराया एकमुश्त, जबकि जमीन के पट्टे के किराए की गणना टीएएमपी द्वारा अधिसूचित एसओआर के प्रचलन के अनुसार की जाती है।

(ii) राजस्व हिस्सेदारी: यदि एलए/सीए की शर्तों के अनुसार हिस्सेदारी की गणना निम्नलिखित तरीकों से की जाती है:

- संचालक द्वारा संग्रहीत कार्गो हैंडलिंग प्रभारों की सहमत प्रतिशतता अथवा;
- सुपुर्द किए गए टीईयूज पर सहमति दर अथवा;
- परियोजना/सुविधाओं और सेवाओं के उपयोग हेतु उद्ग्रहणयोग्य अधिकतम टैरिफ पर संगठित रियायती द्वारा संग्रहीत सकल राजस्व की सहमत प्रतिशतता। इसे 2008 के दिशा-निर्देशों के पश्चात् सीए हेतु अपनाया गया है।

5.2 राजस्व हिस्सेदारी के प्रावधान का गैर मानकीकरण

राजस्व हिस्सेदारी की परिभाषा परियोजना दर परियोजना भिन्न होती है। यह देखा गया कि 18 पूरी की गई परियोजनाओं में राजस्व हिस्सेदारी करार का प्रावधान था:

- 10 परियोजनाओं के संबंध में सकल राजस्व की सहमत प्रतिशतता;

- ❖ पाँच परियोजनाओं में बर्थ किराया प्रभारों और कार्गो हैंडलिंग प्रभारों का सहमत दर; और
- ❖ तीन परियोजनाओं में मात्रा/टीईयूज द्वारा गुणित सहमत दर।

यह भी देखा गया कि 12 परियोजनाओं में बर्थ हायर प्रभार सहमत प्रतिशतता में साझा किया गया था। शेष पाँच[14] परियोजनाओं में से तीन (जेएनपीटी पर एनएसआईसीटी, केपीटी पर एस्सार ऑयल और एनएमपीटी पर यूपीसीएल) में पत्तन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बर्थ किराया प्रभारों का संग्रहण किया गया था और दो मामलों में रियायतियों द्वारा बर्थ किराया प्रभारों का संग्रहण किया गया था किन्तु पत्तन के साथ साझा नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि एमसीए सकल राजस्व को परियोजना/परियोजना सुविधाओं और सेवाओं से रियायती द्वारा प्रभार्य सभी राजस्वों के रूप में परिभाषित करता है और इस प्रकार शब्द 'सकल राजस्व' के बारे में अधिक अस्पष्टता नहीं थी।

5.3 पीपीपी साझेदार द्वारा घोषित राजस्व की सटीकता के सत्यापन हेतु प्रणाली

जनवरी 2008 में एमओएस द्वारा जारी एमसीए में निम्नलिखित प्रावधान था :

- पीपीपी संचालक कार्गो यातायात और अर्जित एवं संग्रहीत टैरिफ पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा (अनुच्छेद 7.1(क)(viii));
- पीपीपी संचालक अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पूर्णतः प्रमाणित प्रत्येक वर्ष के सितम्बर और मार्च महीने की समाप्ति पर प्रत्येक छमाही हेतु सकल राजस्व का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा (अनुच्छेद 9.4); और
- सकल राजस्व की एक विशेष लेखापरीक्षा करने और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए पत्तन को सनदी लेखाकारों के फर्म की नियुक्ति करनी होगी (अनुच्छेद 9.4)।

यद्यपि एमसीए- पूर्व अवधि में केवल कुछ करारों में इन खण्डों को शामिल किया गया था, 2008 के बाद के करारों में अधिकांश मामलों में इन खण्डों को शामिल किया गया था।

5.3.1 स्वतंत्र लेखापरीक्षक की नियुक्ति

पीपीपी परियोजनाओं में स्वतंत्र लेखापरीक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता है जो करार में परिकल्पना के अनुसार राजस्वों के संग्रहण और साझाकरण संबंधी आश्वासन प्रदान

[14] सीओपीटी में एलएनजी रीग्लासीफिकेशन टर्मिनल के मामले में बर्थ किराया प्रभार लागू नहीं है क्योंकि संचालन हेतु बर्थ का उपयोग नहीं किया जाता है।

करता है। यह देखा गया कि सीएचपीटी, में कंटेनर टर्मिनल-I और सीओपीटी में आईसीटीटी के मामले में यद्यपि एलए में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था, पत्तनों ने घोषित और साझा किए गए राजस्व की सटीकता का सत्यापन करने हेतु सनदी लेखाकारों के एक फर्म के नियुक्त किया था। हालांकि, 14 पूरी की गई परियोजनाओं में से जिसके लिए एमसीए से पूर्व एलए पर हस्ताक्षर किए गए थे (जुलाई 1997 से मई 2008) उनमें से केवल पॉंच[15] में स्वतंत्र लेखापरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान था। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि:

(क) एलए के खण्ड 8.25 में प्रावधान था कि लाइसेंसी आपसी सहमति वाली 10 सनदी लेखाकारों की सूची में से सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करेगा। हालांकि यह देखा गया कि आईसीटीपीएल ने सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में उनकी बाटलीबाय एण्ड कम्पनी नियुक्त की जो धारक कंपनी, गेमन इंडिया लि. का सांविधिक लेखापरीक्षक था। इस प्रकार हितों का सीधा टकराव था जिसके कारण लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

(ख) एमबीपीटी में हालांकि अपतटीय कंटेनर टर्मिनल के निर्माण के साथ-साथ संचालन हेतु इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईसीटीपीएल) को दिए गए अपने टर्मिनल 'बैलार्ड पिअर स्टेशन' के पॉंच वर्षों (2007-12) की संचालन अवधि पूर्ण हो गई थी, किसी भी अतिरिक्त लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई थी।

चार पूरी की गई परियोजनाओं में, जिनके करार पर 2008 के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, इस संबंध में एमसीए में निर्धारित प्रावधानों को तीन परियोजनाओं[16] (केवल सीओपीटी पर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड द्वारा एलएनजी टर्मिनल को छोड़कर) में शामिल किए गए थे। दो मामलों में पत्तनों द्वारा अतिरिक्त लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए थे (केपीटी पर बर्थ का संचालन बंद हो गया था (नवम्बर 2014) और सीओपीटी पर एलएनजी रीगैसीफिकेशन टर्मिनल की केवल 5.10 प्रतिशत क्षमता की गणना की गई है)।

लेखापरीक्षकों के निष्कर्ष निम्नवत थे:

- अतिरिक्त लेखापरीक्षकों ने केपीटी पर बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ 13 के संबंध में 2013-14 की अवधि में ₹ 1.10 करोड़ की कम वसूली इंगित किया गया था।

[15] (1) केपीएल पर मरीन लिक्विड टर्मिनल का विकास, (2) जेएनपीटी में कंटेनर टर्मिनल के लिए बल्क टर्मिनल का पुनर्विकास, (3) सीएचपीटी में कंटेनर टर्मिनल 2 का विकास, (4) केपीएल पर लौह अयस्क टर्मिनल का संचालन और (5) केपीएल पर कोयला टर्मिनल का संचालन।

[16] (1) और (2) केपीटी पर बहु उद्देशय नौभार बर्थ संख्या 13 और 15 का विकास, (3) बीपीटी पर बाहरी हार्बर में जीसीबी पर मशीनी कोयला संभलाई सुविधाओं का विकास

यहाँ इसका उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अगस्त 2014 में हमारे द्वारा बताए जाने के बाद लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई थी।

- वीपीटी पर जीसीबी की यंत्रीकृत कोल हैंडलिंग सुविधा के संदर्भ में, अतिरिक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (2013-14) में इंगित किया गया था:
  - ₹18.03 लाख के राजस्व हिस्सेदारी में गिरावट;
  - बर्थ किराया प्रभारों, भण्डारण प्रभारों, अधिक भण्डार का प्रेषण, बचा भण्डार इत्यादि पर राजस्व साझेदारी के प्रति ₹2.72 करोड़ के कुछ अनसुलझे मामले;
  - जहाज संबंधी फाइलों/डाटा का गैर-प्रस्तुतीकरणा।

लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि करते हुए मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि आईसीटीपीएल के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक के हितों के सीधे टकराव से समझौते की जाँच की जाएगी।

5.3.2 *पत्तनों द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के संचालनात्मक डाटा का स्वतंत्र सत्यापन*

सभी राजस्व साझाकरण परियोजनाओं में यह सुनिश्चित करने के लिए संचालक द्वारा प्रस्तुत डाटा की सटीकता का सत्यापन करने की आवश्यकता है कि पत्तनों को राजस्व का सही बँटवारा हो। यह देखा गया कि एमपीटी ने साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडव्ल्यूपीएल) द्वारा जहाज एजेंटों से संग्रहीत बिल ऑफ एंट्री डाटा के साथ प्रदान किए गए यातायात डाटा का प्रति सत्यापन किया है (जून 2015) और मात्रा में अंतर के कारण ₹8.24 लाख के अतिरिक्त राजस्व हिस्से का दावा किया है। इसकी एसडब्ल्यूपीएल से वसूले गए (जुलाई 2015) और ₹7.08 लाख से मिलान किया गया था। हालांकि अन्य पत्तनों में ऐसी अच्छी प्रथा नहीं देखी गई जिसके परिणामस्वरूप संचालक द्वारा राजस्व हिस्सेदारी की कम रिपोर्टिंग की संभावना थी क्योंकि इसमे निम्नलिखित मामले नहीं नोट किया गया था:

(क) कंटेनर बर्थ 11 और 12 के संबंध में एबीजी कांदला कंटेनर टर्मिनल लि० (एबीजीकेसीटीएल) द्वारा साझा किए गए राजस्व की सटीकता का सत्यापन करने हेड केपीटी में कोई प्रक्रिया नहीं थी। यद्यपि 20, 40 और 45 फीट कंटेनरों हेतु एसओआर में अलग-अलग दर निर्धारित थे, एबीजीकेसीटीएल द्वारा प्रस्तुत मासिक कार्गो यातायात रिपोर्ट के प्रति सत्यापन हेतु पत्तन के पास कोई मूल डाटा नहीं था। मार्च 2007 से प्रस्तुत राजस्व विवरण और मासिक कार्गो जुलाई 2012 से सितम्बर 2013 में केपीटी द्वारा परियोजना का अधिग्रहण करने तक बंद पड़ा रहा। इस प्रकार, केपीटी को

एबीजीकेसीटीएल द्वारा प्रस्तुत/अदा किए गए राजस्व हिस्से/डाटा के ऊपर निर्भर रहना पड़ा और उसकी सटीकता का सत्यापन नहीं किया।

(ख) यद्यपि आईसीटीपीएल वाले एलए में प्रासंगिक डाटा तक पहुँच और स्वतंत्र सत्यापन का प्रावधान है, एमबीपीटी पूरी तरह से आईसीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत डाटा पर निर्भर रहा और पत्तन के पास उपलब्ध अभिलेखों के साथ आईसीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत डाटा का मिलान एवं अंतर सुनिश्चित करने के लिए कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने छूटप्राप्त द्वारा प्रस्तुत राजस्व विवरणों में समानान्तर परिचालन अभिलेखों जैसे- बिल ऑफ एंट्री, सीमाशुल्क दस्तावेजों आदि की तुलना में अंतर देखा:

- आईसीटीपीएल द्वारा 2007-08 से 2012-13 की अवधि के लिए प्रस्तुत सकल राजस्व विवरण के अनुसार सम्हाली गई मात्रा 145347 टीईयूज़ थी, जबकि कंटेनर अनुभाग के अभिलेखों के अनुसार यह 154659 टीईयूज़ थी।
- 2010-11 में सम्हाली गई मात्रा 43644 टीईयूज़ थी, जबकि गैमन इंडिया लिमिटेड, धारक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (2010-11) में दर्शाया गया कि आईसीटीपीएल द्वारा सम्हाली गई मात्रा 51000 टीईयूज़ थी।
- सकल राजस्व विवरण के अनुसार वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए सम्हाली गई मात्रा क्रमश: 34071 और 43644 टीईयूज़ थी जबकि एसओआर के सामान्य संशोधन हेतु टीएएमपी को प्रस्तुत प्रस्ताव में इसे वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए क्रमश: 39002 टीईयूज़ और 51593 टीईयूज़ दर्शाया गया था।

(ग) लेखापरीक्षा जाँच (अगस्त 2014) के आधार पर एमटीपी ने एमजीटी के प्रति और नवम्बर 2005 से मार्च 2015 की अवधि के लिए ₹ 7.52 करोड़ राजस्व की कम वसूली का दावा किया है।

(घ) हमने सीओपीटी में एक अच्छी प्रथा भी देखी जिसे प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की जाती है। आईजीटीपीएल द्वारा सृजित इंवाइसेज़ को इंट्रानेट के माध्यम से सीओपीटी की प्रणाली में संग्रहीत किया जाता है और आंकड़ों का मासिक विवरण के साथ मिलान किया जाता है।

लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुष्टि करते हुए मंत्रालय ने आश्वासन दिया (अक्टूबर 2015) कि टर्मिनल संचालकों के आंकड़ों का सत्यापन करने हेतु पत्तनों के लिए एक स्वतंत्र डाटाबेस/पद्धति लाने की व्यवहार्यता की जाँच की जाएगी।

5.3.3 निलम्ब खाता का संचालन

एमसीए के अनुच्छेद 9.5 में प्रावधान है कि सभी रियायती को एक अनुमोदित बैंक में एक निलम्ब खाता रखना चाहिए तथा एक करार करना चाहिए कि परियोजना के वित्तपोषण और सभी राजस्वों तथा परियोजना से आने वाली अन्य प्राप्तियों को तथा किसी करार के तहत रियायती द्वारा प्राप्त सभी प्राप्तियों को ऐसे निलम्ब खाते में जमाया कराया जाएगा। निलम्ब खाते को बैंक को रियायती प्राधिकरणों के एजेंट के रूप में और दाता के प्रतिनिधियों और रियायती के हित में कार्य करना था। करार में निधियों के आहरण और विनियोजन हेतु निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर परिकल्पना की गई थी:

- सभी बकाया और रियायती द्वारा देय कर;
- लाइसेंस शुल्क;
- बजट के अनुसार और वित्तीय दस्तावेजों के तहत निर्धारित, यदि कोई हो तो, के अनुसार परियोजना/परियोजना सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित सभी निर्माण/कार्यान्वयन व्यय;
- बजट के अनुसार और वित्तीय दस्तावेजों के तहत निर्धारित, यदि कोई हो तो, के अनुसार परियोजना/परियोजना सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित संचालनों और प्रबंधनों से संबंधित सभी व्यय;
- वित्तीय दस्तावेजों के तहत डूबत सेवा दायित्व;
- रियायती प्राधिकार को देय अन्य धनराशि और राजस्व हिस्सेदारी तथा निर्णीत हर्जाने, यदि कोई हों;
- वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार सभी आरक्षित आवश्यकतायें;

रियायती को किसी भी तिमाही में बकाया उपरोक्त भुगतान करने और/या पर्याप्त आरक्षण होने पर निलम्ब खाते से किसी भी बकाया राशि के आहरण की छूट थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निलम्ब लेखे के लिए निर्धारित आहरण की प्राथमिकता क्रम के अनुसार राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान केवल परियोजना के संचालन और प्रबंधन से संबंधित रियायती के व्यय के पश्चात् ही किये जाने का प्रावधान था। इससे 31 मार्च 2015 तक केपीटी पर आरएएस और जेआरई द्वारा संचालित (फरवरी 2013 और नवम्बर 2013 से) बर्थ 13 और 15 के संबंध में क्रमश: ₹ 36.36 करोड़ और ₹ 4.96 करोड़ के राजस्व बकाया हुआ।

यह भी देखा गया कि केपीटी प्राथमिकता क्रम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निलम्ब खाते में सभी जमा और निकासी की जांच करने में विफल रहा। फरवरी 2013 से मार्च 2015 की अवधि हेतु निलम्ब खाते की समीक्षा पर ₹ 153.20 करोड़ की सकल राशि के 31.62 प्रतिशत के आधार पर ₹ 11.34 करोड़ राजस्व हिस्सेदारी

का कम निर्धारण देखा गया। लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाये जाने (मई 2014) के पश्चात् ही निलम्ब करार के तहत चूक के संबंध मे निलम्ब बैंकों को पत्र जनवरी 2015 (बर्थ 13) और मई 2015 (बर्थ 15) में पत्र जारी किए गए थे।

इस पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि दो सीए (एअरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली और सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय, पुदुच्चेरी सरकार) के संबंध में निलम्ब खातों में वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किए गए और राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान को ऋण सेवा एवं ओएण्डएम व्ययों पर प्राथमिकता दी गई थी।

उपरोक्त को देखते हुए निलम्ब करार को राजस्व हिस्सेदारी के आहरण और रियायती प्राधिकरण को अन्य बकायों के लिए प्राथमिकता सांवधिक बकायों के बाद ही देने हेतु निलम्ब करार को दुबारा से देखने की आवश्यकता है। प्रत्येक प्राप्ति बिन्दु पर अनुवर्ती आवधिक मिलान हेतु प्रावधान के सत्य निलम्ब लेखे से एक रीएल टाइम प्रणाली पर विचार किया जाए।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि निलम्ब खाते से राशि आहरित करते समय राजस्व हिस्सेदारी को अत्यधिक प्राथमिकता देने और अनुवर्ती आवधिक मिलान के साथ रीएल टाईम स्थानान्तरण हेतु सुझाव पर विचार किया जाएगा।

5.4 राजस्व हिस्सेदारी की स्थिति

राजस्व हिस्सेदारी के प्रावधानों से नीचे दिए गए तीन मामलों में वास्तविक प्रेषण का परिणाम नहीं निकला मूल रूप से संचालक द्वारा मध्यस्थता देरी/पलटने वाले लेखे पर।

- एनएमपीटी पर यूपीसीएल द्वारा बर्थ 15 के मामले में जबकि संचालन के पहले पांच वर्षों में अधिशुल्क का भुगतान प्रत्येक वर्ष अग्रिम में एकमुश्त अदा किया जाना था, एनएमपीटी ने जून 2012 से जून 2015 की अवधि हेतु ₹ 5.70 करोड़ के अधिशुल्क का संग्रहण नहीं किया है।
- जून 2008 से दिसम्बर 2012 तक बीपीएस टर्मिनल के संचालन के मामले में आईसीटीपीएल से ₹ 11.34 करोड़ राशि का संग्रहण अभी भी (दिसम्बर 2014) किया जाना था।

  प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2015) कि बकायों पर विवाद है और मध्यस्थता हेतु भेजा गया है। मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि एमबीपीटी ने आईसीपीटीएल को ₹ 12.15 करोड़ (जून 2008 से जून 2015 तक) के राजस्व हिस्सेदारी दावे को शीर्ष प्राथमिकता आधार पर निपटाने का सुझाव दिया है।

- केपीटी पर बर्थ 11 और 12 के मामले में एबीजीकेसीटीएल ने 70 और 90 दिनों की देरी से पैनल ब्याज सहित मार्च 2007 से जुलाई 2012 की अवधि हेतु ₹ 114.45 करोड़ का प्रेषण किया। अगस्त 2012 से फरवरी 2013 की अवधि हेतु गणना की गई ₹ 9.05 करोड़ की राजस्व हिस्सेदारी बकाया थी। मार्च 2013 से सितम्बर 2013 की अवधि हेतु राजस्व हिस्सेदारी की गणना केपीटी द्वारा नहीं की गई थी क्योंकि एबीजीकेसीटीएल द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण केपीटी के साथ साझा नहीं किया गया।

  यद्यपि किसी भी उपयुक्त अवधि (सितम्बर 2007 से शुरू होने वाली) में एबीजीकेसीटीएल एमजीटी प्राप्त नहीं कर सकी थी, एबीजीकेसीटीएल ने राजस्व हिस्सेदारी में गिरावट का प्रेषण नहीं किया जो सितम्बर 2007 से सितम्बर 2012 की अवधि हेतु ₹ 40.69 करोड़ निकाला गया। सितम्बर 2012 से सितम्बर 2013 की अवधि हेतु एमजीटी में गिरावट पर राजस्व हिस्सेदारी को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि पत्तन में डाटा उपलब्ध नहीं था। मामला विचाराधीन है।

  मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि अधिशुल्क एमजीटी आदि से संबंधित सभी दावे विवेचना दावों में शामिल किए गए थे।.

  इसको इंगित करने की आवश्यकता है कि दो पूरी की गई परियोजनाओं (एनएमपीटी पर बर्थ 15 और सीएचपीटी पर कंटेनर टर्मिनल-II) में राजस्व हिस्सेदारी के अग्रिम प्रेषण का प्रावधान था। कंटेनर टर्मिनल-II (सीआईपीटीएल) का संचालक सकल राजस्व से संबंधित महीने के अगले महीने की 23 तारीख से पूर्व सकल राजस्व की 45.801 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी प्रेषण करता रहा है।

5.5 प्रक्रियागत मामलों के कारण ₹ 76.61 करोड़ की गैर-वसूली

यह भी नोट किया गया कि पत्तनों को विभिन्न पीपीपी संचालकों से अनुबंध II और III में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 76.61 करोड़ राशि का संग्रहण करना था।

सिफारिश 6: *राजस्व हिस्सेदारी भुगतान को कम प्राथमिकता देने के मद्देनजर यह सुझाव दिया जाता है कि पत्तन के लेखे का रिएल टाइम स्थानान्तरण सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली की योजना बनाई जाए। इससे किसी बकाये अथवा इस खाते पर अनुवर्तन की आवश्यकता से बचा जा सकता है।*